FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर.... मुकाम ....(SDO) आयतु....

....[illegible].... बनाम ....[illegible]....

किस्म मुकदमा ....111,128 [illegible].... नं. 380/2020 .... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/20	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री ....[illegible].... ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा ....111,128.... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....19.01.21.... को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) आयतु	
19/01/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण के नोटिस तामील मय तामील रिपोर्ट / चूँकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 08/02/2021 को पेश हो। [initials]	
08/02/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकान उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 04/05/2021 को पेश हो।	
04/05/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकान उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 28/06/2021 को पेश हो।	

28/06/2021 पत्रावली पेश हुई [illegible] उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तजार हाकम दिनांक 18/08/2021 को पेश हो।

18/08/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील फरद तामील पश्चात/ [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार हाकम आगामी दिनांक 16/11/2021 को पेश हो।

16/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील फरद तामील पश्चात/ [illegible] पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार हाकम आगामी दिनांक 21/02/2022 को पेश हो।

21/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार हाकम पत्रावली दिनांक 25/02/2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

क्रम	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। जिनको 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। 1 माह से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा मेड़ मिले हुए है खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ें व डोले बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेप्यमबंदी कर-वानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेप्यमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेप्यमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेप्यमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेप्यमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	(हस्ताक्षर) 25/2/22

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 61 दिनांकः– 25/02/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. लुम्भाराम पुत्र भीखाराम, जाति जाट, निवासी निम्बाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. हेमाराम पुत्र पुराराम वगैरा 6, जाति जाट, निवासी निम्बाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 380 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – निम्बाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल – माडपुरा बरवाला, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 265, 625 / 260 रकबा क्रमशः 6.6500 हेक्टयर, 0.9223 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 25/02/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 62 to 66

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लुम्भाराम पुत्र भीखाराम
4. विप्रार्थी श्री हेमाराम पुत्र पुराराम वगैरा 6
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु